



क.रा.की.नि.
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India



सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005
Phone: 0512-2217957 Email: rd-up@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in

संख्या : 21-ए-49/1/4/2023-रा.भा.

दिनांक : 17.04.2026

परिपत्र/Circular

विषय: कार्यालय प्रमुखों/अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, वर्ष 2025-26

Subject: Incentive Scheme for Head of the Office/officers for giving more and more dictation in Hindi, Year 2025-26.

उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र संख्या: ए-49/16/02/2020-रा.भा., दिनांक 08.04.2026 के संदर्भ में अनुरोध है कि निगम अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक श्रुतलेखन देने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से हिंदी श्रुतलेखन प्रोत्साहन योजना लागू है।

With reference to the Headquarters letter No.A-49/16/02/2020-OL, dated 08.04.2026 on the subject cited above, it is requested that the Hindi Dictation Incentive Scheme is in force to motivate the Corporation officers to give more and more dictations in Hindi.

- इस योजना के अंतर्गत विजेता अधिकारी को हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी वर्ग के अंतर्गत प्रत्येक को रु. 5000/- पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इस प्रकार किसी कार्यालय में दो पुरस्कार स्वीकृत किए जा सकते हैं।

Under this scheme, there is a provision to provide a prize of ₹5000/- each to the winning officer under the Hindi-speaking and non-Hindi-speaking categories. Thus, two awards can be sanctioned in an office.

- उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेसन कार्य की न्यूनतम संख्या 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 100 डिक्टेसन और हिंदीतर भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेसन होगी (मुख्यालय पत्र संख्या ए-49/14/16/89-हिंदी, दिनांक 24.11.1995 के अनुसार)।

The minimum number of Hindi dictation work required for acceptance under the said award scheme shall be 100 dictations per year for Hindi-speaking officers and 75 dictations per year for non-Hindi speaking officers in the Corporation Offices situated in 'A' & 'B' regions (As per Headquarters letter No. A-49/14/16/89-Hindi, dated 24.11.1995).

- उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेसन कार्य की न्यूनतम संख्या 'ग' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में हिन्दी-भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेसन और हिंदीतर भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 60 डिक्टेसन होगी (मुख्यालय पत्र संख्या ए-49/14/16/89-हिंदी, दिनांक 24.11.1995 के अनुसार)।

The minimum number of Hindi dictation work required for acceptance under the said award scheme shall be 75 dictations per year for Hindi speaking officers and 60 dictations per year for non-Hindi officers in the Corporation Offices situated in 'C' region (As per Headquarters letter No. A-49/14/16/89-Hindi, dated 24.11.1995).

- आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी गई पंक्तियां डिक्टेसन मानी जाएंगी। कीबोर्ड पर सीधे हिंदी टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा) भी डिक्टेसन माना जाएगा। 10 पंक्तियों से कम के डिक्टेसन की गणना नहीं की जाएगी।

If no stenographer etc. is attached, the lines written by hand will be considered as dictation. Hindi typing directly on the keyboard (by self and assistant) will also be considered as dictation. Dictation of less than 10 lines will not be counted.

- डिक्टेसन रिकॉर्ड के साथ 10 नमूने प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।

It is also mandatory to submit 10 samples along with the dictation record.

- उक्त प्रोत्साहन योजना में कार्यालय प्रमुख सहित सभी अधिकारी भाग ले सकते हैं।

All the officers including the Head of the Office can participate in the said incentive scheme.

(क) कार्यालय प्रमुख की प्रतिभागिता/Participation of Head of the Office:

उक्त प्रोत्साहन योजना में, कार्यालय प्रमुखों के लिए डिक्टेसन स्पर्धा एवं पुरस्कार की घोषणा मुख्यालय स्तर पर अलग से की जाती है। अतः वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026) की उक्त प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के

इच्छुक कार्यालय प्रमुख अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए कृपया हिंदी में दिए गए डिक्टेसन संबंधी रिकॉर्ड संलग्नक "क" में विहित प्रपत्र में भरकर दिनांक 29/05/2026 तक निगम मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजें।

Under the said incentive scheme, dictation competition and prizes for the Heads of the Offices are announced separately at the Headquarters level. Hence, the Head of the Office willing to participate in the said incentive scheme for the year 2025-26 (01.04.2025 to 31.03.2026) should please fill the record of the dictation given in Hindi in the prescribed proformaas per annexure "A", mentioning their mother tongue and send it to the Official Language Branch of the Headquarters by 29/05/2026.

(ख) अन्य अधिकारियों की प्रतिभागिता/Participation of other Officers:

क्षेत्र इकाइयों के अन्य अधिकारियों के डिक्टेसन रिकॉर्ड की समीक्षा संबंधित कार्यालय के स्तर पर की जाती है। अतः वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026) की उक्त प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के इच्छुक कार्यालय के अन्य अधिकारी अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए कृपया हिंदी में दिए गए डिक्टेसन संबंधी रिकॉर्ड संलग्नक "क" में विहित प्रपत्र में भरकर दिनांक 29/05/2025 तक इस कार्यालय की राजभाषा शाखा को भेजें।

The dictation records of other officers of field units are required to be reviewed at the level of the concerned office. Other officers of the office willing to participate in the said incentive scheme for the year 2025-26 (01.04.2025 to 31.03.2026) should please fill the record of the dictation given in Hindi in the prescribed proformaas per annexure "A", mentioning their mother tongue and send it to the Official Language Branch of this office by 29/05/2025.

यह भी अनुरोध है कि आगामी वर्ष 2026-27 (01.04.2026 से 31.03.2027) के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी कृपया हिंदी में दिए गए श्रुतलेखन का रिकॉर्ड संलग्नक "क" में विहित प्रपत्र में रखें।

It is also requested that the officers willing to participate in the said scheme during the coming year 2026-27 (01.04.2026 to 31.03.2027) please keep the record of dictation in Hindi in the prescribed proformaas per annexure "A".

यह परिपत्र कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This circular is being issued with the approval of the Head of the office.

श्रद्धा वर्मा
27/4/26

(श्रद्धा वर्मा/Shraddha Verma)

सहा. निदेशक (राजभाषा)/Assistant Director (O.L.)

प्रति/To :-

1. महानिदेशक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम नई दिल्ली को सूचनाार्थ।
Director General, Headquarters, ESIC, New Delhi for information please.
2. निजी सचिव, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम कानपुर।
Personal Secretary, RD, Regional Office, ESIC, Kanpur.
3. सभी अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर।
All Officers and Office Superintendent, Regional Office, ESIC, Kanpur.
4. सभी शाखा प्रबंधक/प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, अधीनस्थ शाखा कार्यालय/औषधालय-सह-शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम कानपुर।
All Branch Manager/IMO Incharge, Subordinate Branch Offices/DCBO Regional Office, ESIC, Kanpur.
5. क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालय/डीसीबीओ क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी कार्मिक।
All officials of Regional Office and Subordinate Branch Offices/DCBO ESIC, Kanpur.
6. वेबसाइट प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम कानपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
Website Manager, Regional Office, ESIC Kanpur to upload it on the website.